न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 417–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–12–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, भोपाल के प्रकरण कमांक 59/2013–14/अपील.

.....

1–श्रीमती रानी गुप्ता पत्नि स्व.श्री पुरूषोत्तमदास गुप्ता
2–अभिषेक गुप्ता आ0स्व0श्री पुरूषोत्तमदास गुप्ता
3–अंकित गुप्ता आ0स्व0श्री पुरूषोत्तमदास गुप्ता
तीनों निवासी मकान नं.14 नूरजी बोहरा गली
लखेरापुरा भोपाल
4–श्रीमती संगीता बरसैया पत्नी श्री पुरूषोत्तमदास गुप्ता
निवासी बडा सर्राफा पुरानी गल्लामंडी रोड
गाडरवाडा जिला नरसिंहपुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती राजकुमारी गुप्ता पत्नी स्व0श्री अशोककुमार गुप्ता
2–आशीष गुप्ता स्व0श्री अशोककुमार गुप्ता
3–सुमित गुप्ता आ0 स्व0श्री अशोककुमार गुप्ता
4–राहुल गुप्ता आ0 स्व0श्री अशोककुमार गुप्ता
निवासीगण 12 चौकसे नगर बैरसिया रोड भोपाल
5–रूचि गुप्ता पुत्री स्व0श्री अशोककुमार गुप्ता पत्नी मुकेश गुप्ता
निवासी 172 गोला कुआॅ झाॅसी उत्तरप्रदेश

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री संजीव जयसवाल, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ७/९/१८ को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त तहसील हुजूर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–09 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 27–9–14 को लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण कमांक 59/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 9–12–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण केवल तर्को के आधार पर नहीं किया जाकर साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना साक्ष्य लिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है।

(2) अनावेदकगण को तहसीलदार के आदेश की जानकारी प्रोवेट प्रकरण में दिनांक 25–3–14 को हो गई थी, उसके बावजूद उनके द्वारा छह माह पश्चात् दिनांक 8–9–14 को अपील प्रस्तुत की गई है । इस ओर ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है ।

(3) पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण की जानकारी प्रवाचक के द्वारा दिनांक 9–12–15 को आवेदकगण को दी गई थी और पेशी दिनांक 6–1–2010 बताई गई थी एवं दिनांक 9–12–15 को ही अति संक्षिप्त प्रकृति का आदेश जिसमें मात्र आवेदन पत्र स्वीकार किया गया उल्लिखित है, के द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करने के संबंध में सकारण आदेश पारित करना चाहिये था ।

(4) पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण पश्चात विलम्ब क्षमा करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि न्यायिक परम्परा के अनुरूप स्थानान्तरण के पश्चात् आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये था ।

(5) विलम्ब क्षमा का पात्र वह पक्षकार होता है जिसके द्वारा सद्भाविक रूप से सम्यक प्रयासों के बाद समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है । अनावेदकगण द्वारा असत्य कथन किया गया है, ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 10–9–14 को व्यवहार न्यायालय में चल रहे अन्य प्रकरण में उपस्थित होने पर हुई है, अतः जानकारी के दिनांक से समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदकगण द्वारा तहसीलदार को गुमराह करते हुये अनावेदक कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 के पिता को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी गोपीबाई के वैध वारिसानों में अशोक गुप्ता का नाम दिया गया है । इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी ।

(3) आवेदकगण प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर नहीं कराना चाहता है क्योंकि यदि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर हुआ तो तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 25–8–2009 निरस्त हो जायेगा ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य कई व्यवहार वाद लंबित है, उन प्रकरणों में से एक प्रकरण में जब खसरा प्रस्तुत किया गया तब अनावेदकगण

को जानकारी हुई थी कि आवेदक द्वारा चोरी–छिपे प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया गया है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, किन कारणों से धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–15 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर